FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

निग/4002-PBR-15

पुनरीक्षण

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय अध्यक्ष महोदय , राजस्व मण्डल न्यायालय ग्वालियर

शंकर पिता पुनमचंद चांदोरे , आयु – 55 वर्ष ,
धंधा – कृषि , जाति – मारू
निवासी – मारू मोहल्ला , खरगोन तहसील व जिला खरगोन

.... पुनरिक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. मोहन पिता पुनमचंद चांदोरे , आयु – 53 वर्ष ,
जाति – मारू , धंधा – कृषि मजदूरी ,
निवासी – मारू मोहल्ला , खरगोन तहसील व जिला खरगोन
2. कांताबाई पिता पूनमचंद चांदोरे , पति श्री चंद्रशेखर कुमावत
आयु – 47 वर्ष , जाति कुमावत
निवासी – मारू मोहल्ला खरगोन .
3. सेवंतीबाई पिता पूनमचंद चांदोरे , पति श्री राजेन्द्र कुमावत
आयु – 47 वर्ष , जाति कुमावत
निवासी – लाल मट्टी , संजय नगर , खरगोन
तहसील व जिला खरगोन.
4. सुमनबाई पिता पूनमचंद चांदोरे , पति श्री भूरेलाल लाड़ने
आयु – 50 वर्ष , जाति कुमावत
निवासी – नया मारू मोहल्ला , पहाड़सिंग पुरा , खरगोन
तहसील व जिला खरगोन

...........प्रत्यर्थीगण

अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने बाबद ।

इसमें पुनरिक्षणकर्ता श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय खरगोन (पीठासीन आधिकारी श्रीमान आशीष खरे सा) के द्वारा प्रकरण. क्रमांक 67 / अ–27 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2015 से असंतुष्ट होकर निम्न आधारों के साथ यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

सदर पुनरीक्षण के साथ श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय खरगोन (पीठासीन आधिकारी श्रीमान आशीष खरे सा) के द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20.11.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रस्तुत है ।

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय खरगोन पीठासीन

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4002-पीबीआर/2015 जिला खरगोन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 30-3-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	